अयोध्या के 52 गांवों से गुजरेगा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे कॉरिडोर

सुलतानपुर से अयोध्या तक छह लेन विस्तार का ड्रोन सर्वे पूरा

■ वीएन दास, अयोध्या

अयोध्या से सुलतानपुर को जोड़ने वाले ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे कॉरिडोर के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू हो गया है। इसके चलते अयोध्या की तीन तहसीलों बीकापुर (39 गांव), सदर (5 गांव) और सोहावल (8 गांव) के कुल 52 गांवों में जमीन की खरीद-बिक्री और भू-उपयोग परिवर्तन पर रोक लगा दी गई है। अपर जिलाधिकारी (भू-अभिलेख) अरुण मणि तिवारी ने तहसीलदारों और उपनिबंधक को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। यह कॉरिडोर एनएचएआई द्वारा बनाया जाएगा और यह अयोध्या-प्रयागराज हाइवे से 3-5 किमी पूर्वी दिशा में स्थित इन गांवों से होकर गुजरेगा। इस हाइवे के सुलतानपुर से अयोध्या तक छह लेन विस्तार का ड्रोन सर्वे भी पूरा हो चुका है। इसके निर्माण से किसानों को अपनी उपज तेजी से मंडियों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। साथ ही कम भीड़भाड़ के कारण वाहनों का तेज गति से संचालन और सड़कों पर ट्रैफिक का बोझ कम होगा।

ग्रीन फील्ड कॉरिडोर क्या है?

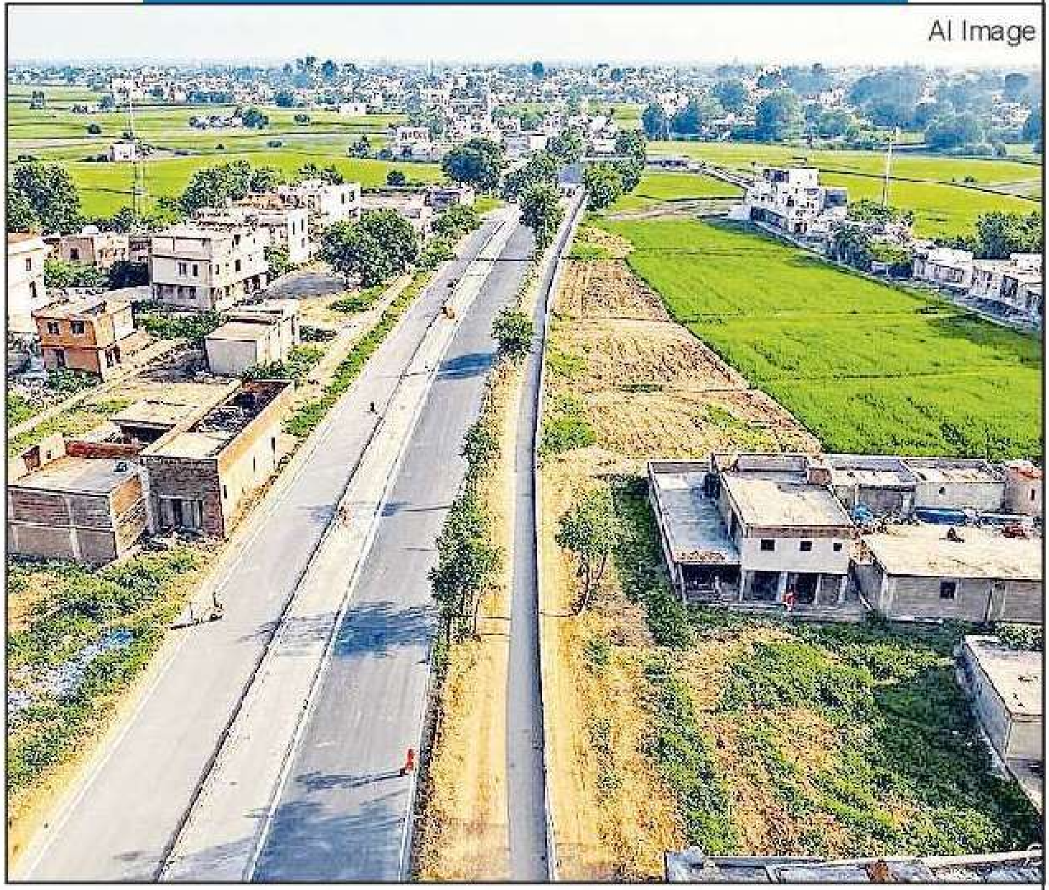

ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे एक फोरलेन एक्सेस-कंट्रोल्ड हाई-स्पीड कॉरिडोर है, जो पहले से बनी सड़कों से अलग, हरे मैदानों और खेतों से होकर बनाया जाता है। इसका उद्देश्य सस्ती और आसान भूमि अधिग्रहण, समतल और सीधी सड़क और शहरी क्षेत्रों की जटिलताओं से बचना है।

इन गांवों में जमीन की लगी रोक

सदर तहसीलः खानपुर, शिवदासपुर, भदोखर, इटौरा, बिरौली।

बीकापुर तहसीलः चौरे, चंदौली, बैतीकला, कूरेभारी, रामनगर, गोविंदपुर, रूपीपुर, शाहपारा, भवनाथपुर, प्रानपुर, किलहना, बसंतपुर, दुबांवा, नंदरौली, मानापुर, पातूपुर, खजुरहट, गंडई, बीकापुर, भावापुर, बीबीपुर, मांझा सोनौरा सहित 39 गांव।

सोहावल तहसीलः मधुपुर, कल्याण भदरसा, रैथुआ, धर्मदासपुर, पिरखौली, खानपुर मसौधा, अबानपुर सरोहा, पलिया रिसाली।